न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 63/2017

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना सेडवा

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. श्री भंवरलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति सैनी निवासी गोराना की ढाणी पुलिस थाना उद्योग नगर जिला सीकर
2. श्री विजेन्द्र उर्फ पपु पुत्र श्री मोटाराम जाति जाट निवासी ढाकों की ढाणी नवलगढ, पुलिस थाना नवलगढ जिला झुंझूनूं
3. श्री दिलीपसिंह पुत्र श्री श्रवणसिंह जाति राजपूत निवासी खेजर वाला जोहडा, गूगरा पुलिस थाना रूगनाथगढ जिला सीकर
4. श्री श्योकरण पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति गुर्जर निवासी टोडपुरा पुलिस थाना उदयपुर वाटी जिला झुंझूनूं
5. श्री छगनलाल पुत्र दलीपराम जाति स्वामी निवासी कलाला पुलिस थाना भादरा जिला हनुमानगढ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री करनाराम चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 से 4 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:15 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 29.12.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 07.09.2017 को जिला

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कृषि अधिकारी बाड़मेर को सेडवा मुख्यालय पर पटेल कृषि सेवा केन्द्र के मालिक मोहम्मद यासिन नें दूरभाष पर बताया कि यहां दो गाडियों में भरा हुआ फ्रक्सन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड अलवर का अवैध ग्रीन बेल व हयूमिक एसिड़ स्थानीय किसानों को बेचा जा रहा है। उक्त सूचना पर कृषि अधिकारी बाड़मेर (उर्वरक निरीक्षक) द्वारा उक्त खाद का नमूना लेने की लिखित सूचना प्रपत्र VIII में दी जाकर विक्रेता फ्रक्सन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर श्री छगन से प्राप्ति रसीद ली तथा ग्रामीणों की उपस्थिति में ग्रीन बेल्ट एवं हयूमिक एसिड के नमूने आहरित किये गये। उक्त खाद का निर्माण/भण्डारण/विक्रय बिना अनुज्ञा पत्र अवैध रूप से किया जाना पाया गया जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 14 व 15 का उल्लंघन पाये जाने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त किया जाकर सेडवा में पटेल कृषि सेवा केन्द्र अधिकृत आदान विक्रेता श्री मोहम्मद यासीन की अभिरक्षा में ग्रीन बेल्ट के 637 बैग एवं ह्यूमिक एसिड की 330 बोतल सुपुर्द की गई। प्रकरण में जांच उपरांत अप्रार्थीगण छगनलाल, सोनेन्द्रसिंह, दिलीपसिंह, भंवरलाल, विजेन्द्र व श्योकरण द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र के ग्रीन बेल्ट उर्वरक 637 बैग एवं 330 बोतल हयूमिक एसिड कब्जा में रखना, बेचना व जनता को धोखा देना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन होने से यह इस्तगासा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा आवश्यक वस्तु एवं वाहन संख्या ट्रक आरजे 23 जी 3013 व आरजे 22 जीए 0939 का निस्तारण हेतु निवेदन किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 04.09.2017 को निर्मला रोड लाईन्स रतनगढ द्वारा दिल्ली गुजरात फ्रेट केरियर को दूरभाष पर माल ढोने के वाहन की आवश्यकता बताई जिस पर दिल्ली गुजरात फ्रेट केरियर सीकर ने वाहन संख्या आरजे 23 जी 3013 व आरजे 22 जीए 0939 को रतनगढ भेजा। उक्त दोनों वाहनों में निर्मला रोड लाईन्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

रतनगढ ने दिनांक 05.09.2017 को बिल्टी बनाकर खाद के कट्टे भरवाये व उक्त माल बाड़मेर जिले के सेडवा कस्बे में खाली करने का कहा गया। इस पर उक्त दोनों वाहन बिल्टी के अनुसार भरा माल लेकर दिनांक 06.09.2017 को बाड़मेर होते हुए सेड़वा पहुंचे तथा दिनांक 07.09.2017 को गाड़ियां उदयवीरसिंह के गोदाम में खाली हो रही थीं। इस दौरान पटेल कृषि सेवा केन्द्र के मालिक मोहम्मद यासीन ने एक गलत शिकायत की जिसके आधार पर उर्वरक निरीक्षक द्वारा पुलिस थाना सेडवा में प्रथम सूचना रिपोर्ट पेश की एवं दौरान अनुसंधान उक्त दोनों ट्रक जब्त किये गये। यह इस्तगासा प्रस्तुत किये जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा जब्तशुदा ट्रकों को सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया गया जिस पर श्रीमान न्यायालय द्वारा सुपुर्दगीनामा पर दिये गये। श्री छगनलाल मैनेजर फ्रक्सन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उक्त खाद बेल्ट व ह्यूमिक एसिड अप्रार्थीगण के ट्रकों में ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के जरिये भरवाये गये थे तथा वाहन स्वामी को उक्त खाद व एसिड गलत तरीके से भरवाने का ज्ञान नहीं था। दोनों चालकों ने बिल्टी का माल भरकर परिवहन किया है उसकी वैधता का उनसे काई संबंध नहीं है। इस आधार पर प्रथमदृष्ट्या वाहन चालकों एवं वाहन स्वामी के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का कोई अपराध नहीं बनता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 5 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहा एवं कोई जवाब प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि दिनांक 07.09.2017 को जिला कृषि अधिकारी बाड़मेर [illegible] मुख्यालय पर पटेल कृषि सेवा केन्द्र के मालिक मो[illegible] बताया कि यहां दो गाडियों में भरा हुआ फ्रक्सन एग्रो प्राइवेट [illegible]मिटेड अलवर का अवैध ग्रीन बेल व ह्यूमिक एसिड स्थानीय किसानों को बेचा जा रहा है। उक्त सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर बाड़मेर

पर कृषि अधिकारी बाड़मेर (उर्वरक निरीक्षक) द्वारा उक्त खाद का नमूना लेने की लिखित सूचना प्रपत्र VIII में दी जाकर विक्रेता फ्रक्सन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर श्री छगन से प्राप्ति रसीद ली तथा ग्रामीणों की उपस्थिति में ग्रीन बेल्ट एवं ह्यूमिक एसिड के नमूने आहरित किये गये। उक्त खाद का निर्माण/भण्डारण/विक्रय बिना अनुज्ञा पत्र अवैध रूप से किया जाना पाया गया जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 14 व 15 का उल्लंघन पाये जाने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने प्रकट किया है कि उक्त जब्तशुदा माल उनके द्वारा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की बिल्टी के जरिये परिवहन किया गया था एवं माल की वैधता के बारे में वाहन चालकों एवं स्वामी को कोई ज्ञान नहीं रहा है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा माल परिवहन की बिल्टी संख्या 565–566 दिनांक 05.09.2017 निर्मला रोड लाईन्स रतनगढ की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई। इससे प्रकट होता है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 वाहन चालक एवं स्वामी परिवहन किये जा रहे माल की वैधता के संबंध में सद्भाविक रूप से अनजान रहे हैं। उनके द्वारा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की ओर से जारी बिल्टी पर माल की वैधता का विश्वास किया गया है अन्यथा प्रकरण में उनकी भूमिका किसी प्रकार से विधि उल्लंघनकारी होना प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा यह इस्तगासा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के विरूद्ध ड्रॉप किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी संख्या 5 मैनेजर फ्रक्सन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड अलवर द्वारा अवैध रूप से बिना अनुज्ञा पत्र उर्वरक का निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय किया जाना पाया गया है तथा उक्त माल जब्ती के उपरान्त उसके द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रतिरक्षण नहीं किया गया है। लिहाजा जब्तशुदा माल ग्रील बेल्ट उर्वरक 637 बैग व 330 [illegible]मिक एसिड को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:15 IST
Reason: SelfAttested

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार किया

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जाकर जब्तशुदा मैसर्स फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड अलवर से निर्मित ग्रीन बेल्ट के 637 बैग (प्रत्येक बैग 50 किग्रा पैकिंग) एवं ह्यूमिक एसिड की 330 बोतल (प्रति बोतल 1 लीटर पैकिंग) जो अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा बिना वैध अनुज्ञा पत्र भण्डारण एवं विकय किया जाना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 7, 14 व 15 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का उल्लंघन होने से धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। उपनिदेशक, कृषि (विस्तार) राजसात किये गये उक्त माल का नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त होने वाली राशि राजकोष में नियत मद में जमा करावें। प्रकरण में सीजशुदा वाहन संख्या आरजे 23 जी 3013 व आरजे 22 जीए 0939 जो अस्थाई रूप से अप्रार्थीगण को सुपुर्दगी पर दिये गये हैं के लिये अप्रार्थीगण की ओर से निष्पादित सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा निरस्त किये जाकर कब्जा सरकार से एतद्द्वारा मुक्त किया जाता है।

5. आदेश आज दिनांक 29.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:15 IST
Reason: SelfAttested